1. [illegible]
2. [illegible] पुत्री भम्बल पत्नि [illegible] जाति गुर्जर निवासी [illegible] तहसील वैर जिला भरतपुर
3. मौती पुत्री भम्बल पत्नि यादराम जाति गुर्जर निवासी शहदपुर तहसील महवा हाल पावटा तहसील महवा
4. बत्तन पुत्री भम्बल पत्नि सियाराम जाति गुर्जर निवासी शहदपुर हाल पावटा तहसील महवा जिला दौसा
5. कमला पुत्री भम्बल पत्नि दयाराम जाति गुर्जर शहदपुर तहसील महवा निवासी कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
6. केशा उर्फ केशपति पुत्री भम्बल पत्नि बदनसिंह जाति गुर्जर निवासी शहदपुर तहसील महवा हाल गहनौली तहसील महवा
7. तहसीलदार महवा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिसीवर

निर्णय

दिनांक 23–09–2019

प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवर नियुक्त करने के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शहदपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 70/0.32, 71/0.38, 76/0.03, 77/0.10, 78/0.18, 99/0.56, 100/0.28, 101/0.54, 102/0.31, 103/0.36, 259/0.29, 260/0.32, 262/0.35, कुल किता 13 रकबा 4.02 हैक्टयर जिसके गत खसरा नम्बर 18, 21, 57, 15 के पूर्व में खातेदार भम्बल पुत्र घीस्या हिस्सा 1/2 महाराजसिंह नाहरसिंह हीरासिह पि.झिब्बू हिस्सा 1/2

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible]

दर्ज करवा ली। जबकि भम्बल की मृत्यु होने पर उसके जायज वारिसान प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राज होने पर अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर उतारू है तथा भूमि को कृषि से अकृषि में निर्माण कार्य करने पर भी आमादा है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात की समुचित व्यवस्था के लिये रिसीवर ही एक मात्र चारा रह गया है। यदि रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया तो शान्ति भंग हो सकती है। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में है। अतः वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार महवा को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि जबाबदाता मृतक भम्बल का दत्तक पुत्र है। स्व. भम्बल ने जबाबदाता को अल्पायु में ही अपनी धर्मपत्नि श्रीमती रामकौर की इच्छा से सामाजिक रीति रिवाज से गोद ले लिया था। गोद पत्र को उप पंजीयक महवा के कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाया गया है। जबाब दाता ने अपनी 6 बहिनों की शादी उनके भात जामने आदि सभी सामाजिक कार्य किये है। जबाब दावा अपने मृतक पिता भम्बल के जीवन काल से ही उनकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मृतक पिता भम्बल की विरासत का नामान्तरकरण 1994 में सही खोला जाकर खातेदारी दर्ज की गयी है। प्रार्थिया या अन्य अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। यदि वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है कि अप्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र रिसीवर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ओर से जबाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि हीरासिंह दत्तक पुत्र भम्बल हमारा सगा भाई है। हमारे पिताजी ने हीरासिंह को छोटी ही आयु में गोद ले लिया था। हमारे पिता भम्बल की मृत्यु पर दाह

अधिकारी (जिला दौसा)

[illegible]

[illegible] प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपनी बहस में जाहिर किया कि मृतक भम्बल ने अप्रार्थी हीरासिंह को कभी भी गोद नहीं लिया। गोद पत्र को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी आराजी को खुर्द–बुर्द किया जा सकता है तथा शान्ति भंग होने का अंदेशा है। अतः रिसीवर नियुक्त किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने बहस का उत्तर देते हुये कथन किया कि चार बहिनों ने जबाब में बताया है कि हमें जमीन मे सें कुछ नहीं लेना है। आज तक कुछ भी खुर्द बुर्द नहीं किया है। सिविल न्यायायल ने रहन बय मुन्तकिल नहीं करने बाबत स्थगन जारी कर रखा है। शान्ति भंग होने का कोई अंदेशा नहीं है। अप्रार्थी सख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है तथा भौतिक रूप से काबिज है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2071–74 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम शहदपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 70/0.32, 71/0.38, 76/0.03, 77/0.10, 78/0.18, 99/0.56, 100/0.28, 101/0.54, 102/0.31, 103/0.36, 259/0.29, 260/0.32, 262/0.35, कुल किता 13 रकबा 4.02 हैक्टयर की खातेदारी हीरासिंह दत्तक पुत्र भम्बल कौम गुर्जर सा.देह राहिन एसबीबीजे. शाखा महवा मुर्तहीन के नाम दर्ज है। इससे यह तथ्य प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार होने के फलस्वरूप कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 1 का ही माना जावेगा क्योकि पत्रावली पर अन्यथा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिया ने

[illegible]

की जा सकती और न ही रिसीवर नियुक्त किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र रिसीवर स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर आराजी खसरा नम्बर 70/0.32, 71/0.38, 76/0.03, 77/0.10, 78/0.18, 99/0.56, 100/0.28, 101/0.54, 102/0.31, 103/0.36, 259/0.29, 260/0.32, 262/0.35 कुल किता 13 रकबा 4.02 हैक्टयर स्थित ग्राम शहदपुर तहसील महवा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 23-09-2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)